प्रपत्र—23

परियोजना का नामः— पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र ग्राम पंचायत का नाम टेडा तहसील रामनगर जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

उत्तराखण्ड में जिला नैनीताल के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित परियोजना के निर्माण हेतु (0.9488 हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.9488 वन भूमि) का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत टेडा द्वारा दिनांक ....15/09/16........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवाा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टेड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम सचिव

ह0/—
अनिल कुमार
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत-टेड़ा
वि०ख० रामनगर (नैनीताल)

नोटः— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजि भूमि प्रवाहित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाए।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–23.1

दिनांक 13/09/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–टेडा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
2	गोविन्द वल्लभ	गोविन्द
3	दया राम	दयाराम
4	महीपाल राम	महीपाल
5	देवेन्द्र कुमार	D Kumar
6	काशी राम	काशी राम
7	विरेन्द्र सिंह	V Rawat
8	दर्शन सिंह	[illegible]
9	विरेन्द्र कुमार	V Kumar

Photo Copy Attst.

Asst. Engineer
C.D. Pey Jal Nigam Ramnagar

Scanned by CamScanner

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

आज दिनांक २०/०९/16 वार्ड न० 4 मौहल्ला मोतीमहल, बम्बाघेर की आम बैठक की गयी। जिसमें कोसी नदी में गिर रहे नालों के शोधन हेतु ट्रांसपोर्ट नगर के पास शोधन संयंत्र बनाने पर चर्चा की गयी। उपस्थित वार्ड के लोगों के द्वारा उक्त कार्य हेतु अपनी सहमति जताई है। इस कार्य से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। उक्त बैठक में निम्न लोग उपस्थित रहे।

दिनांक 20/09/16 वार्ड न० 04 मौहल्ला मोतीमहल, बम्बाघेर रामनगर की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

कमांक	उपस्थित व्यक्तियों के नाम	हस्ताक्षर
01	गीता देवी	गीता देवी
02	ममता	ममता
03	बिजेश देवी	बिजेश देवी
04	जयप्रकाश	[illegible]
05	[illegible]	[illegible]
06	शारदा	शारदा
07	बाला	बाला
08	पनी राम	पनीराम
09	मोन्टू	मोन्टू
10	चन्दन	चन्दन
11	किरन	किरन
12	Ramkumar	[illegible]
13	रामा	रामा
14	बाबू राम	बाबू
15	राम कुमार	Ram Kumar
16	Prem	[illegible]
17	मंगल सिंह	[illegible]
18	सन्तोषी कश्यप	सन्तोषी
19	Rama	[illegible]
२०	पनी राम	पनी राम
२१	अरविन्द कश्यप	[illegible]
२२	किशोर कश्यप	किशोर
२३	आदेश	[illegible]

Photo Copy Attst.

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

आज दिनांक 20/09/16 वार्ड न0 8/9 मौहल्ला भरतपुरी/बल्दियापड़ाव पम्पापुरी की आम बैठक की गयी। जिसमें बल्दियापड़ाव में WTP के निकट कोसी नदी में गिर रहे नालों के शोधन हेतु पम्पिंग स्टेशन एवं सीवर लाईन बनाने पर चर्चा की गयी। उपस्थित वार्ड के लोगों के द्वारा उक्त कार्य हेतु अपनी सहमति जताई है। इस कार्य से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। उक्त बैठक में निम्न लोग उपस्थित रहे।

दिनांक 20/09/16 वार्ड न0 8/9 मौहल्ला भरतपुरी/बल्दियापड़ाव पम्पापुरी रामनगर की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

कमांक	उपस्थित व्यक्तियों के नाम	हस्ताक्षर
01	K.D. Joshi Bharatpuri	KDJoshi
02	Devki Devi Bharatpuri	देवकी
03	Scham devi	Scham
04	कमला देवी	कमला देवी
05	देवा देवी	देवा देवी
06	नन्द लाल	नन्द लाल
07	रामकिशोर	रामकिशोर
08	Deepa Arya	Deepa
09	Sanjay Kumar बल्दियापड़ाव	संजय कुमार
10	Himanshu ''	[illegible]
11	पुष्पा देवी	पुष्पा
12	Sanjay	[illegible]
13	राम किशोर	राम किशोर
14	Prem	[illegible]
15	अमर	अमर
16	Ajay	[illegible]
17	संगीता	संगीता
18	सुरज	[illegible]
19	शोभा देवी	शोभादेवी
20	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी

Photo Copy Attst.

Asst. Engineer

C.D. Pey Jal Nigam, Ramnagar

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रामनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, रामनगर

उत्तराखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत...(0.9488 हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.9488 हे0 वन भूमि) का निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रामनगर) की दिनांक...12/02/16.......को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक...12/02/16........................ .उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानसार है।

1. परितोष वर्मा — उप जिलाधिकारी, रामनगर — अध्यक्ष
2. टी० एस० शाही — उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर — सदस्य
3. संजीव कुमार — सहायक समाज कल्याण अधिकारी, रामनगर — सदस्य / सचिव
4. महेन्द्र सिंह राणा — बी0डी0सी0 क्षेत्र / ग्रा0पं0 विकास अधि0 — सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुयें उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल) हेतु 0.9488 हे0 वन भूमि का प्रयोक्ता ऐजन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल) हेतु 0.9488 हे0 वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राविकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रामनगर
जनपद–नैनीताल।
उप जिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–रामनगर
जनपद–नैनीताल।
उप जिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– **पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)।**

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत **पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)** के अन्तर्गत बल्दिया पड़ाव रामनगर में कोसी नदी के तट पर एस0पी0एस0 एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु 0.1668 हेक्टेयर वन भूमि तथा ट्रान्सपोर्ट नगर के समीप एस0टी0पी0 निर्माण हेतु कोसी नदी के तट पर 0.7820 हेक्टेयर वन भूमि (कुल 0.9488 हेक्टेयर) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति रामनगर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। यह प्रमाण पत्र उपजिलाधिकारी रामनगर, उप प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, वि0ख0 रामनगर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, रामनगर द्वारा 23.2 में किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है।

ह0/–
जिलाधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल.

नोट– वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वांछित समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्रस्तावित **पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)** के अन्तर्गत बल्दिया पड़ाव रामनगर में कोसी नदी के तट पर एस0पी0एस0 एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु 0.1668 हेक्टेयर वन भूमि तथा ट्रान्सपोर्ट नगर के समीप एस0टी0पी0 निर्माण हेतु कोसी नदी के तट पर 0.7820 हेक्टेयर वन भूमि (कुल 0.9488 हेक्टेयर) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या– Estt./I(01)ROD/2014/659 Dated 10th Dec., 2014 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitve Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है। यह प्रमाण पत्र उपजिलाधिकारी रामनगर, उप प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, वि0ख0 रामनगर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, रामनगर द्वारा 23.2 में दिये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है।

ह0/–
जिलाधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल.

Scanned by CamScanner

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Nainital

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)Act, 2006 ("FRA",for short) on the forest land proposed to be diverted for non-relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.9488** hectares of forest land proposed to be diverted in favors of **Executive Engineer, Construction Division, Uttarakhand Peyjal Nigam, Ramnagar District Nainital** for "construction of SPS, Sewer Line & STP ". At bank of river Kosi in Nainital District within jurisdiction of **Teda village & Near Transport Nagar in Ramnagar Tehsil.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9488 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of consultations and meetings of the Forest Right Committee, Gram Sabha, sub division level committee are cnclosed as annexure 01 to annexure 02..

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Deepak Rawat)
District Collector
Nainital
जिलाधिकारी
नैनीताल.

Scanned by CamScanner

(72)

Annexure-II

FORM-II

(for project other than lineaer projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Nainital

No.............................

Date 01-10-2016.

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)Act, 2006 ("FRA",for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest, it is certified that 0.9488 hectares of forest land proposed to be diverted in favours of **Executive Engineer, Construction Division, Uttarakhand Peyjal Nigam, Ramnagar District Nainital** for "Construction of SPS, Sewer Line & STP ", At bank of river Kosi in Nainital District within jurisdiction of **Teda village and Near Transport Nagar in Ramnagar Tehsil.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9488 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of record of consultations and meetings of the Forest Right Committee, Gram Sabha, sub division level committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.

(b) The proposal of for such diversion (with full details of the projects and its implecations, in vernacular/local language) has been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out, and that they have given their concern to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Teda Village and Nagar Palika Ramnagar is enclosed as annexure 01 to annexure 02.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA;

Encl: As above.,

(Deepak Rawat)
District Collector
Nainital

जिलाधिकारी
नैनीताल।

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी,नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और वन्य परम्परागत वन निवासी जिला स्तरीय समिति,नैनीताल।

बैठक का कार्यवृत

विषयः– जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल) हेतु बल्दियापड़ाव ,रामनगर में कोसी नदी के तट पर एस0पी0एस0 एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु 0.1668 हेक्टेयर वन भूमि तथा ट्रान्सपोर्ट नगर के समीप एस0टी0पी0 निर्माण हेतु कोसी नदी के तट पर 0.7820 हेक्टेयर वन भूमि (कुल 0.9488 हेक्टेयर) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासीर (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 01-10-2016 को दीपक रावत , जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति संलग्नानुसार है।

जिला सचिव/सदस्य द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को उपरोक्त विषय के बारे में अवगत कराते हुए 0.9488 हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.9488 हे0 वन भूमि का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा बैठक में 60 प्रतिशत से अधिक उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि राज्य सैक्टर (नगरीय) वित्त पोषित **पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)** योजना के अन्तर्गत एस0पी0एस0 एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु 0.1668 हेक्टेयर वन भूमि तथा ट्रान्सपोर्ट नगर के समीप एस0टी0पी0 निर्माण हेतु कोसी नदी के तट पर 0.7820 हेक्टेयर वन भूमि (कुल 0.9488 हेक्टेयर) का निर्माण के उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

प्रभागीय वनाधिकारी,रामनगर वन प्रभाग,रामनगर (नैनीताल) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एवं नियम–07 की धारा–03 (1) एवं 03 (2) को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत **पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)** योजना के

Scanned by CamScanner

अन्तर्गत कोसी नदी के तट पर एस0पी0एस0 एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु 0.1668 हेक्टेयर वन भूमि तथा ट्रान्सपोर्ट नगर के समीप एस0टी0पी0 निर्माण हेतु कोसी नदी के तट पर 0.7820 हेक्टेयर वन भूमि (कुल 0.9488 हेक्टेयर) के निर्माण हेतु प्रस्तावित वनभूमि में वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामसभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है।

अतः उक्त प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा के उपरान्त एवं ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा निर्गत किए गये अनापत्ति पत्रों के आधार पर निम्नानुसार संस्तुति की जाती है।

1– प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के अनुसार **पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)** योजना के अन्तर्गत कोसी नदी के तट पर एस0पी0एस0 एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु 0.1668 हेक्टेयर वन भूमि तथा ट्रान्सपोर्ट नगर के समीप एस0टी0पी0 निर्माण हेतु कोसी नदी के तट पर 0.7820 हेक्टेयर वन भूमि (कुल 0.9488 हेक्टेयर) जिसमें 0.9488 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि , शून्य हैक्टेयर सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य हैक्टेयर वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.9488 हैक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव संबंधित ग्राम सभाओं एवं उपखण्ड स्तंरीय समिति द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

2– प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना से प्रभावित ग्राम सभाओं में 60 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के अनुसार स्थानीय भाषा (हिन्दी) में परियोजना के उदेश्य व इसके लाभ की विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

3– प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामसभा एवं उपखण्ड स्तनीय समिति द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम–2006 की धारा–03(01)(इ) के प्राविधानानुसार परियोजना में प्रभावित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी भी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है।

4– प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सभाओं/पंचायतों एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा 60 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्रों के आधार पर वन अधिकार अधिनियम–2006 की धारा–03 (02) के अन्तर्गत **पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)** योजना के अन्तर्गत कोसी नदी के तट पर एस0पी0एस0 एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु 0.1668 हेक्टेयर वन भूमि तथा ट्रान्सपोर्ट नगर के समीप एस0टी0पी0 निर्माण हेतु कोसी नदी के तट पर 0.7820 हेक्टेयर वन भूमि (कुल 0.9488 हेक्टेयर) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर (नैनीताल) को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति प्रदान की गई।

अतः बैठक में सर्वसम्मति से **पोल्यूशन अबेटमेंन्ट आफ रिवर कोसी ऐट रामनगर (नैनीताल)** योजना के अन्तर्गत कोसी नदी के तट पर एस0पी0एस0 एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु 0.1668 हेक्टेयर वन भूमि तथा ट्रान्सपोर्ट नगर के समीप एस0टी0पी0 निर्माण हेतु कोसी नदी के तट पर 0.7820 हेक्टेयर वन भूमि

Scanned by CamScanner

(कुल 0.9488 हेक्टेयर) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर (नैनीताल) को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति प्रदान की गई।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,नैनीताल।

जिलाधिकारी
नैनीताल.

प्रतिलिपिः–

1.सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2.सचिव एवं आयुक्त,समाज कल्याण,उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ ।
3.निदेशक,जनजाति कल्याण,उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ ।
4.जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
5.अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर (नैनीताल) को सूचनार्थ।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,नैनीताल।

जिलाधिकारी
नैनीताल.

Scanned by CamScanner

जिला स्तरीय बैठक

क्रमांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री दीपक रावत	जिलाधिकारी,नैनीताल। (अध्यक्ष)	जिलाधिकारी नैनीताल.
2.	नेहा वर्मा	प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)। (सदस्य)	प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
3.	जगमोहन सिंह	जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल (सदस्य)	

Scanned by CamScanner